न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 12/21 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2021/22

उनवान

1. रचना पुत्री सुरेश जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बोकोली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रमेश पुत्र टीकाराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बोकोली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी रूपवास दिनांक 09.10.2020 उनवानी रचना बना रमेश मु0न0 87/2019

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री जितेन्द्र कर्दम उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 29.09.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 09.10.2020 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम बोकोली तहसील रूपवास में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी अपीलाण्ट 1/2 हिस्सा में से 1/4 हिस्से की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है। विवादित आराजी संयुक्त खाते की है। इसलिये अप्रार्थी रैस्पो0 विवादित भू भाग के अच्छे अच्छे भाग पर कब्जा कर दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल करना चाहते हैं। यदि वह अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो अपीलाण्ट को अपरमित क्षति होगी। अतः मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया अपीलाण्ट से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि अपीलाण्ट ने विवादित आराजी में से अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा विक्रय कर दिया है। अतः न्यायालय के मत में जो भी हो निर्णय पारित कर देवें।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट स्वयं विवादित आराजी में से अपने हिस्से को विक्रय करना स्वीकारते हैं। अतः अपीलाण्ट के पक्ष में वर्तमान में कोई मामला नहीं बनता है। अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। दौराने बहस अभिभाषक अपीलाण्ट स्वयं अपीलाण्ट द्वारा विवादित भूमि मे से अपने हिस्से को विक्रय करना स्वीकारते हैं। चूंकि अपीलाण्ट ने विवादित भूमि मे से अपना हिस्सा विक्रय कर दिया है एवं विवादित आराजी में उनका कोई स्वत्व शेष नहीं रहा है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति भी उनके पक्ष में नहीं बनती है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 09.10.2020 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर